

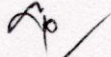
परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीखेत -
सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन मय मानचित्र

नोट- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के पत्र संख्या 11-168 / 2009-एफ.सी. दिनांक 14.02.2012 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण का 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर निर्धारित कर प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। उक्त दर में वृक्षारोपण का तीन वर्ष तक रख-रखाव का प्राविधान होता है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उक्त दर में वृक्षारोपण के 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राकलन में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

संलग्न है।


वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
धरमघर वन प्रभाग


उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारी-सलिया-जग्युड़ाबास मोटर मार्ग लम्बाई 7.00 कि.मी. के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.4342 है० के दुगुने 4.8684 है० में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना।

- परियोजना का नाम- नरगोली-सिमायल-भंडारी-सलिया-जग्युड़ाबास मोटर मार्ग लम्बाई 7.00 कि०मी०
- पौधारोपण स्थल का नाम- ग्राम दिवाला तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर सिविल सोयम भूमि - क्षेत्रफल 4.8684 है०
- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - $4.8684 \times 1100 = 5355$ पौधे
- रोपित की जाने वाली प्रजाति - हरड़, आवला, बहेड़, बांज, फल्यांट, क्वैराल, भीमल, शीटा आदि।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	घनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	4.8684	97.00	472.23
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	4.8684	584.00	2843.15
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य आदि (10 है० को आधार मानकर)	4.8684	7750.00	37730.10
4	कुली दीवाल निर्माण प्रति है० 84 घ०मी० औसत	409.00	315.00	128835.00
5	गड़दा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)	5355	7.33	39252.15
6	निरीक्षण बटिया	4.8684	485.00	2361.17
7	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	5355	5.89	31540.95
8	औजार तेज कराई		LS	400.00
	1- प्रथम चरण का योग			243434.75
1	गड़दा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)	5355	1.15	6158.25
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष।	5355	1.15	6158.25
3	पौधे डुलान कार्य (25 % नगी तथा 75 % वैग पौध रोपण तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि०मी० सिरबोझ औसत पर)	5355	6.39	34218.45
4	पौधारोपण व थावलबंदी	5355	2.06	11031.30
5	निराई गुड़ाई व मल्लिङ (दो बार)	5355	0.76	4069.80
6	रसायनिक खाद व दवा प्रति सैकड़ा पौध।	5355	0.21	11.20
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है० पर)।	4.8684	4768.00	23212.53
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.8684	350.00	1703.94
9	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.8684	225.00	1095.39
10	2.3 वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.8684	400.00	1947.36
11	ब- प्रोत्साहन	4.8684	200.00	973.68
12	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड, वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डैक्क्यूमेंटेशन आदि कार्य।	4.8684	LS	700.00
	2- द्वितीय चरण का योग			91280.15
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	4.8684	7152.00	34818.80
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.8684	350.00	1703.94
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.8684	225.00	1095.39
4	2.3 वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.8684	310.00	1509.20
5	ब- प्रोत्साहन	4.8684	200.00	973.68
	3- तृतीय चरण का योग			40101.01
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	4.8684	7152.00	34818.80
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.8684	350.00	1703.94
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.8684	225.00	1095.39
4	2.3 वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.8684	310.00	1509.20
5	ब- प्रोत्साहन	4.8684	200.00	973.68
	4- चतुर्थ चरण का योग			40101.01
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	4.8684	7152.00	34818.80
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.8684	200.00	973.68
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.8684	150.00	730.26
4	2.3 वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.8684	310.00	1509.20
5	ब- प्रोत्साहन	4.8684	200.00	973.68
	5- पंचम चरण का योग			39005.62

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	4.8684	7152.00	34818.80
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.8684	350.00	1703.94
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.8684	225.00	1095.39
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.8684	310.00	1509.20
5	ब- प्रोत्साहन	4.8684	200.00	973.68
	6- षष्ठम चरण का योग			40101.01
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	4.8684	7152.00	34818.80
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.8684	350.00	1703.94
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.8684	225.00	1095.39
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.8684	310.00	1509.20
5	ब- प्रोत्साहन	4.8684	200.00	973.68
	7- सप्तम चरण का योग			40101.01
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	4.8684	7152.00	34818.80
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.8684	350.00	1703.94
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.8684	225.00	1095.39
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.8684	310.00	1509.20
5	ब- प्रोत्साहन	4.8684	200.00	973.68
	8- अष्टम चरण का योग			40101.01
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	4.8684	7152.00	34818.80
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.8684	350.00	1703.94
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.8684	225.00	1095.39
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.8684	310.00	1509.20
5	ब- प्रोत्साहन	4.8684	200.00	973.68
	9- नवम चरण का योग			40101.01
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	4.8684	7152.00	34818.80
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	4.8684	350.00	1703.94
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	4.8684	225.00	1095.39
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	4.8684	310.00	1509.20
5	ब- प्रोत्साहन	4.8684	200.00	973.68
	10- दशम चरण का योग			40101.01
	महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम चरण)			654427.60
	(छ: लाख चौवन हजार चार सौ अट्ठाईश रुपये मात्र)		अर्थात् रू०	654428.00

वनक्षेत्र अधिकारी
धरमधर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

वनक्षेत्र अधिकारी
धरमधर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग